

1956 के अधिनियम के अन्तर्गत आदेश नं. 1033
 आवेदन पत्र के सम्बन्ध में प्रत्येक की...

2075-2078 के आदेश नं. 144 में शोमान-4 40
 अर्द्धकरी आदेश नं. 1033 के अन्तर्गत 40 अर्द्धकरी
 को जय सुभाषन-4 40 अर्द्धकरी के नाम पर...

दिनांक 29/11/23

दिनांक 29/11/23

मूल ही स्वयंसेवक आवेदन पत्रों पर उचित ध्यान दे कि आवेदन पत्र में वर्णित पुराने आगमक
 में मूल दुरुस्त किया जाना उचित है उचित किया जायेगा जो मूल में किया जाना को आगे के लिए नहीं है।

तहसीलदार (मु.अ.) गुदागौडजी
उदयपुरवाटी (झुन्झुन)

न्यायालय उदयपुरवाटी अर्द्धकरी पर सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुन्झुन (राज.)
 - आदेश -

दिनांक 29/11/23

दिनांक 29/11/23

पार्थी के 'खारा दुरुस्त' प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों साक्ष्य एवं तहसीलदार (मु.अ.)
 उदयपुरवाटी/गुदागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में
 प्रस्तावित अर्द्धकरी प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जायेगा तहसीलदार (मु.अ.) उदयपुरवाटी/गुदागौडजी को राजस्व
 प्रविष्टि में अमल में बदल के आदेश जारी जायेगा।

क्र.सं.	ग्राम	समावेश संख्या	खारा संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (सं. नं.)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिपोर्ट में दर्ज की जानी है।)
2	खारा	2075-78	144	शोमान-4 40 अर्द्धकरी	सुभाषन-4 40 अर्द्धकरी

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्धारित की
 पालना की जावे।

प्रशासन गादी की संग अभियान 2023

दिनांक - राजस्व/2023/36
 प्रविष्टि नं. -

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत
प्रभारी अधिकारी
 प्रशासन गादी की संग अभियान 2023
 उपरान्त अधिकारी,
 उदयपुरवाटी

29/11/23

1. तहसीलदार (मु.अ.) उदयपुरवाटी/गुदागौडजी को उक्त आदेश पत्रार्थ।
2. पार्थी, प्रार्थना पत्र...



प्रभारी अधिकारी
 प्रशासन गादी की संग अभियान 2023